



कारवाई : सात लाख का सामान जब्त, अमी और चोरी करने की फिराक में थे चोरी की 25 बाइक जब्त, चार गिरफ्तार महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता

हरिभूमि न्यूज ॥ महासमुंद

जिले के विभिन्न स्थानों से बाइक और सबमर्सिबल पंपों की चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोपियों से पुलिस ने कुल सात लाख रुपए के 25 बाइकें और 6 सबमर्सिबल पंपों को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी महासमुंद के अलग-अलग स्थानों से वाहन चोरी कर बिग्री करने के फिराक में थे। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रार्थी शेर मोहम्मद वार्ड नं. 5 महासमुंद ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे मैं घर से अपने मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्रमंक सीजी 06 जीजे 9071 से बस स्टैंड महासमुंद के यात्री प्रतीक्षालय में लॉक कर और अटो चलाने के लिए खल्लारी चला गया था। जब वह खल्लारी से वापस करीब दोपहर 3 बजे आया तो देखा कि उसकी बाइक वहां नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 303 (2) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया।

पुलिस को विवेचना के दौरान 25 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि खेरा चौक



इन जगहों से की गई चोरी

वहीं आरोपियों के द्वारा उक्त मोटर सायकलों को जिला अस्पताल महासमुंद, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, बस स्टैंड महासमुंद, आदित्य अस्पताल के पास, उकालपुरख अस्पताल के पास, गाम मुजगासेर, खल्लारी मंदिर महासमुंद के पास, गामीण बैंक पिथौरा के पास अलग-अलग दिनों में चोरी किये हैं। चोरी किये गये मोटर सायकल को हम लोग बेचने के लिए आपस में बंटवारा किया जिसमें अशफाक को 06 मोटर सायकल तथा कुबेर चंद्राकर को 10 मोटर सायकल, हितेश को 06 नंग मोटर सायकल, प्रीतम चक्रधारी को बंटवारे में 03 नंग मोटर सायकल और 06 नंग सबमर्सिबल पंप बंटवारे में मिला है। आरोपियों के द्वारा मोटर सायकल व 06 नंग सबमर्सिबल पंप को आपस में बंटवारा कर घर में छुपाकर रखना बताया।

शराब भट्टी के पास कुछ व्यक्ति पुरानी गाड़ियां बेचने के लिए ग्राहक खोज रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों व्यक्तियों से पूछताछ करने लगी तो ये लोग गोलमोल जवाब देने लगे। पूछताछ में

इन लोगों ने अपने-अपने नाम कुबेर चंद्राकर उर्फ गब्बू पिता रेखराज चंद्राकर (37 वर्ष) निवासी हाल मुकाम वार्ड क्र 28 मोहारी भांठा पानी टंकी के पास महासमुंद स्थायी पता गाम सेनचुआ थाना कुरुद जिला-धमतरी, प्रीतम

चक्रधारी पिता सुबेलाल चक्रधारी (19 वर्ष) निवासी कोल्दा मंडी पारा चौकी बुंदेली थाना तेंदुकोना महासमुंद, हितेश कुमार कुम्हार पिता नंदलाल कुम्हार (24 वर्ष) निवासी ग्राम फरौद वार्ड क्र 11 कुम्हार पारा चौकी बुंदेली और अशफाक अली उर्फ अस्तु पिता राईस अली (19 वर्ष) निवासी कोल्दा वार्ड क्र 01 चौकी बुंदेली बताया। पुलिस की टीम के द्वारा वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि चारों ने मिलकर कुल 25 नंग मोटर सायकल तथा 06 नंग सबमर्सिबल पंप को ग्राम नदी चरौदा , कोल्दा तथा ग्राम भूरकोनी बुंदेली एवं अन्य स्थानों से चोरी किए हैं।

रिमांड पर आरोपियों को मेजा जेल

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 25 नंग विभिन्न कंपनी के मोटर सायकल एवं 06 नंग सबमर्सिबल पंप कुल कीमत 7,00,000 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध धारा 303(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

3 लाख 90 हजार का गांजा जब्त

मध्यप्रदेश के दो आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ॥ महासमुंद

जिले की पुलिस ने गांजा का अवैध ■ आरोपियों के खिलाफ सिंगोड़ा थाने में धारा 20(ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

रूप से परिवहन कर रहे मध्यप्रदेश निवासी दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 90 हजार रुपए का 26 किलो गांजा सहित अन्य सामान जब्त किया गया है।

सिंगोड़ा पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक सफेद रंग के मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमंक एमपी 04 सीजी 9177 में अवैध मनोतेजक मादक गांजा रखकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के बाद एनएच 53 रोड ग्राम रेहटीखोल में जाकर नाकाबंदी किया गया। कुछ समय बाद मुखबिर के बताये हुलिए की एक कार वहां आई, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। ये लोग पुलिस

को देखकर अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाने लगे। जिन्हें पुलिस स्टाफ द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। जब आरोपियों से भागने का कारण पूछने पर उन्होंने कार में गांजा होना बताया और उक्त गांजा को बलांगीर ओडिशा से सीहोर मध्यप्रदेश ले जाना बताया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने-अपने नाम धर्मेश मीणा पिता रमेश मीणा (27 साल) दोराहा सिकंदरगंज हाउस नंबर 28 थाना दोराहा जिला सिहोर (मध्यप्रदेश) और विजय सिंग मालवीय पिता पदमन सिंग मालवीय (23 साल) वार्ड नंबर 21 दोराहा जिला सिहोर (मध्यप्रदेश) बताए। कार की तलाशी दौरान पछे डिक्की में छिपाकर रखे दो नग प्लास्टिक बोरी में 13-13 किलोग्राम कुल 26 किलोग्राम नमीयुक्त अवैध मादक पदार्थ कीमत 3,90,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त कार कीमत 2,30,000 रुपए, आरोपियों के कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया आरोपियों के खिलाफ सिंगोड़ा थाने में धारा 20(ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।

खबर संक्षेप

सरकारी स्कूल की छात्रा सिमरन पढ़ेगी नवोदय में

महासमुंद ब्लॉक की इकलौती छात्रा है जो सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है और नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हुई है। शासकीय प्राथमिक शाला नायकबांधा की छात्रा सिमरन के चयन पर ग्रामीणजनों में हर्ष व्याप्त है। साथ ही शाला के प्रधान पाठक दैलत राम निषाद, कक्षा शिक्षक पी श्रीधर राव एवं शिक्षक शिवकुमार कंकर ने छात्रा को उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।

युवक कार की टक्कर से हुआ घायल

महासमुंद। सामान खरीदने किराना दुकान जा रहा युवक कार की टक्कर से घायल हो गया। पिथौरा थाने में घायल युवक के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी कार चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी देवसिंह डडसेना पिता स्व. नारायण डडसेना निवासी पिथौरा ने रिपोर्ट लिखाई है कि 22 मार्च की शाम लगभग 5.30 बजे उसका बेटा ऐश्वर्य डडसेना (28 वर्ष) घर से रावणभाटा पारा किराना स्टोर्स में राशन समान खरीदने पैदल जा रहा था। इस दौरान अटो वाहन क्रमंक सीजी04एच 4541 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक व तेज गति से अपने वाहन को चला कर ऐश्वर्य डडसेना को पीछे से टोकर मारकर एकसीडेंट कर दिया। जिससे युवक के दाहिने पैर में गंभीर चोट व मुंह होट, बांये पैर, बांये कंधे में चोट आई है। मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

कोढ़ा से लोड ट्रक रास्ते से गायब, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महासमुंद। सरायपाली से कोढ़ा लोड कर रायपुर जाने के लिए निकला ट्रक रास्ते से गायब हो गया। मामले को लेकर सरायपाली के कारोबारी ने वाहन चालक और मोबाइल धारक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी व पिचोपिया एण्ड संस सरायपाली के प्रोप्राइटर पवन कुमार अग्रवाल पिता स्व श्रीचंद अग्रवाल (44 वर्ष) ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसे रायपुर के भारद्वाज ट्रांसपोर्ट की ओर से फोन किया गया कि आपके पास जो कोढ़ा है उसे भेजे गए गाड़ी क्रमंक सीजीबीपी8490 में लोड करा देंगे। इसके बाद प्रार्थी ने गाड़ी आने पर पुलिस कोढ़ा (19 टन

दो दंतैलों की सिरपुर क्षेत्र में दस्तक, छह गांवों के लिए हाई अलर्ट

महासमुंद। वन विभाग के कक्ष क्रमंक 54 में दो दंतैल हाथियों के प्रवेश के बाद छह गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर जारी सूचना के अनुसार बीती रात में 2 दंतैल हाथियों ने सिरपुर रोड को पार कर वन विकास विभाग के कक्ष क्रमंक 54 वन विकास विभाग के जंगल में प्रवेश किया है। जिनका वर्तमान लोकेशन कक्ष क्रमंक 54, 131, 132, 126, 127 है। हाथियों के प्रवेश के बाद गाम नान्दबारा, सुकुलबाय, केशलडीह, खिरशाली, बंदेरा, तालझर के आसपास के ग्रामीणों को हाई अलर्ट किया गया है। साथ ही कोटवार से मुनादी करवा कर किसी को भी जंगल नहीं जाने और हाथी देखने पर नजदीकी वन कर्मचारी को सूचना देने कहा गया है।

पटेवा की आंगनबाड़ी में सुपोषण चौपाल का आयोजन

हरिभूमि न्यूज ॥ महासमुंद

270 वजन) कीमत 5,54,400 को उसमें लोड कराया। चालक जो 4 मार्च को बलोदिया राईस मिल के गोदाम में आया, समयभाव के कारण 5 मार्च को माल लोड किया गया। इस दौरान प्रार्थी की चालक से 4 मार्च से 6 मार्च दोपहर 1:30 बजे तक बात हुई, इसके बाद मोबाइल बंद कर दिया एवं उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि अभी न तो उस वाहन का पता है और न ही वाहन ले जाने वाले व्यक्ति की जानकारी मिल पा रही है। मामले में रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक और मोबाइल धारक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 316 (3) के तहत जुर्म दर्ज किया है।

महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेवा के आंगनबाड़ी केंद्र में सुपोषण चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ की कंट्री चीफ (पोषण) मैरी क्लाड, दिल्ली टीम और एम्स रायपुर की टीम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री माताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय को पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान करना और कुपोषण की रोकथाम सुनिश्चित करना था। चौपाल के दौरान संतुलित आहार, स्तनपान के महत्व, पूरक आहार और एनीमिया की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में माताओं और बच्चों के



शारीरिक विकास, वजन और पोषण स्तर की समीक्षा की गई तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यूनिसेफ की कंट्री चीफ मैरी क्लाड ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहना करते हुए कहा कि वे पोषण जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। यह दौरा स्थानीय स्तर पर पोषण सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और समुदाय में

सुपोषण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। इस तरह के कार्यक्रम समुदाय में कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।

डेटा विजुलाइजेशन और एआई मॉडलिंग सीखकर छात्र उत्साहित

हरिभूमि न्यूज ॥ महासमुंद

डेटा विजुलाइजेशन और एआई मॉडलिंग सीखकर छात्र उत्साहित हैं।

कार्यक्रम के सहायक समन्वयक विकास यादव ने बताया कि पांच दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला के तीसरे दिन एआई कोच अनूप सिंह ने डाटा विजुलाइजेशन, एआई मॉडलिंग, और प्रोजेक्ट सायकल के विभिन्न आयामों को विस्तार से बताया। डेटा एंक्विजिशन, डेटा इवैल्यूएशन, तथा एआई मॉडलिंग पर हैंड्स ऑन कार्य अपने अपने

लेपटॉप में कर छात्रों ने जाना। डेटा के जिला संयोजक जगदीश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि एआई रिकलिंग कैंप में भाग ले रहे विद्यार्थियों के लिए जिला विज्ञान एवं शैक्षिक परिषद की ओर से एस्ट्रोनामी और स्काई वाचिंग कार्यक्रम 27 मार्च शाम 6 बजे से रखा गया है। जिसमें परिषद के ब्लॉक संयोजक अजय भोई टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय घटनाओं का अवलोकन विद्यार्थियों को कराएंगे। आसमान में दिखने वाले विभिन्न ग्रहों को भी देखा जा सकेगा। यह आयोजन शाम 6 बजे से कलेक्टर ऑफिस के सामने पार्क में होगा।

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर लगाई रोक, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ की प्रेसवार्ता

भाजपा सरकार में कांग्रेसी भूमाफियाओं के संरक्षण पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज ॥ महासमुंद

डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय में आहूत प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद कांग्रेसी भूमाफियाओं का दबदबा बना हुआ है। कांग्रेसियों के अवैध गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं दिख रहा है। पिथौरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ डायसिस मिशन की करीब 10 करोड़ रुपए की तीन एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर किए जा रहे निर्माण के संदर्भ में कहा कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस अवैध निर्माण पर रोक



पदाधिकारियों ने बताया कि डायसिस द्वारा एडीएम और पुलिस प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की

गई। आरोप है कि तहसीलदार और एसडीएम की मिलीभगत से कब्जाधारी को संरक्षण दिया गया। इस दौरान 24 जून को तहसीलदार ने डायसिस की ओर से दायर किए गए केस को खारिज कर दिया जिसके बाद चंद्रभूषण जोसफ ने अपने बेटे को यह जमीन दान कर दी।

मसीही समाज ने किया विरोध, हाईकोर्ट से मिली मदद

पिछले वर्ष भी मसीही समाज ने इस अवैध कब्जे के खिलाफ पिथौरा में विरोध जुलूस निकाला था जिसके बाद एसडीएम ने मामले पर स्थगन आदेश दिया था। लोक प्रशासनिक मिलीभगत के चलते कब्जाधारियों को संरक्षण मिलता रहा। अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इन्होंने बताया कि मामले में कांग्रेस जुड़े नहीं किया जा रहा है। मामले में जल्द सल्लिपता रही है। जितेंद्र सिन्हा के साथ इस अवैध कब्जे के पीछे कई बड़े कांग्रेस

नेताओं का हाथ होने की संभावना है।

त्त्काल कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ डायसिस ने भाजपा सरकार से इस अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन को निदेश देने की अपील की गई है कि इस पवित्र मिशन भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। डायसिस के सदस्यों ने कहा है मामले में संज्ञेय अपराध होने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है। मामले में जल्द कार्रवाई नही होने पर डायसिस सदस्यों ने एसपी दफ्तर के घेराव की चेतावनी दी है।

मांगवत सुनने आए युवक के साथ मारपीट

महासमुंद। भागवत कथा सुनने ग्राम भोकलूडीह आए एक युवक के साथ तीन लोगों ने मारपीट कर दी। पुलिस को ग्राम मेमरा निवासी रोशन लाल साव ने बताया कि वह 25 मार्च को अपने परिवार के साथ ग्राम भोकलूडीह भागवत कथा सुनने आया था। वह भोजनालय से खाना खाकर अपने घर वापस जा रहा था। रात करीब 8.30 बजे कमलेश निषाद के घर के सामने आरोपी हिमेश साव, नरेश निषाद एवं कमलेश निषाद ने तुम हमारे गांव में क्यों घूम रहे हो कहते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दी। सांकरा थाने में मामले को लेकर धारा 115(2), 296, 3(5), 85(1)(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

खबर संक्षेप

वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के विषय पर गोष्ठी आज महासमुंद। स्वाध्याय केंद्र समिति महासमुंद द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के विषय में 27 मार्च गुरुवार को शाम 6 बजे गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जो कि पुराना महाविद्यालय रोड स्थित स्वाध्याय केंद्र में होगी। स्वाध्याय केंद्र समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र राठौर ने बताया कि कार्यशाला में (छग शासन) छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज प्रमुख वक्ता के रूप में बतौर मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहेंगे। कल होने वाले इस गोष्ठी में क्षेत्र के समस्त प्रबुद्ध जन, समाजसेवी, पत्रकार सभी राजनैतिक दल के नेता सभी धर्म प्रेम, विभिन्न संगठनों के प्रमुख सह प्रमुखों को उपस्थित होने की अपील की गई है। साथ ही साथ आम जनता से भी अपील की गई है कि वे कल सां 6 बजे स्वाध्याय केंद्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के विषय की सारी जानकारी वे प्राप्त कर सकें।

संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कारों की हुई घोषणा महासमुंद। गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वर्ष 2024-25 में कक्षा -5 से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक नौ वर्गों में आयोजित किया गया था। जिसके पुरस्कारों की घोषणा गायत्री शक्तिपीठ सरायपाली में की गई। उक्त परीक्षा में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला स्टेसन पारा महासमुंद की कक्षा 7वीं की छात्रा प्रीति यादव ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान एवं रेणुका पटेल ने 93 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिससे कि उनके विद्यालय का मान बढ़ा है। बच्चों ने इसका श्रेय विद्यालय के गुरुजनों एवं अपने माता पिता को दिया है।

जिले के 8 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान स्वीकृत महासमुंद। उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के 8 जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें जिला मुख्यालय महासमुंद के बार्ड क्रमांक 03 के हीरालाल गांधी, बार्ड क्रमांक 07 नयापारा के यश गांधी, बार्ड क्रमांक 25 राधा कृष्ण बार्ड क्रमांक के पूर्वाश चंद्राकर, बार्ड क्रमांक 05 नयापारा के हमन कुमार ओगरे, खैराबाड़ा बीटीआई रोड निवासी डोमर साहू शामिल हैं। वहीं विकासखंड महासमुंद के ग्राम बनपचरी निवासी यश विजय चंद्राकर, ग्राम बरनाईदार झगरेनडीह की झरना प्रधान एवं तुषित प्रधान को भी स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं के दो फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात स्वीकृत राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

ढेठा में सजी कवियों की महफिल

जीजामगांव। ग्राम ढेठा के कबीर आश्रम में 24 अप्रैल को संगवारी साहित्य समिति सिर्री की मासिक गोष्ठी हुई जिसमें कवियों का काव्यपाठ और साहित्यिक परिचर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कबीर आश्रम के संत बलवंत साहेब, रतन साहेब, भोज साहेब और आयोजक परिवार गुरुप्रसाद साहू, राजकुमार साहू शिक्षक ने दीप प्रज्वलित कर किया। काव्य गोष्ठी में विभिन्न समसामयिक घटनाओं को लेकर चिंतन परक रचनाओं का पाठ किया जिसे श्रोताओं ने बखूबी सराहा। प्रमुख कवि के रूप में सौहार्द सिंग गुरुदत्ता, मानस मर्मज्ञ रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, मोहनलाल धिबेरिया सिर्री, सूर्यलाल साहू ढेठा, मोहन कंसारी नारी, बृजलाल दाबना, तातुराम भैसबोड़, प्यारेलाल, लीलाराम सिन्हा मरौद, राजू छत्तीसगढ़िया गातापार, जागेर सिन्हा कन्धारपुरी, एस कुमार साहू सिवनी कला ने रचनापाठ किया। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर साहू शिक्षक बकली ने किया। गुरुप्रसाद साहू, शिक्षक राजकुमार साहू ने आभार प्रकट किया।

आयोजन : बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत हुई कार्यशाला

बाल विवाह रोकथाम की ली शपथ मानव तस्करी के मुद्दों पर की चर्चा

हरिभूमि न्यूज >>> महासमुंद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण उन्मूलन और मातृ-शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास में बाधा डालती है।

सरकार इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके प्रभावी रोकथाम हेतु प्रदेश सहित जिले में जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत के सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़



अभियान अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष भूखम सिंह ठाकुर, सदस्य योगेश्वर जोगन् चंद्राकर, लोकनाथ बारी, रवि साहू, राम दुलारी सिन्हा, जगमोतीन भोंई,

जनपद अध्यक्ष दिशा दीवान, उपाध्यक्ष तुलसी चंद्राकर, सदस्य निधि चंद्राकर, योगेश्वरी बबली जांगडे, जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास समीर पांडेय,

सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में बाल विवाह के रोकथाम के लिए उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पाँच पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई।

बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में विशाखा समिति की गाइडलाइन और मानव तस्करी के मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इन विषयों पर अधिवक्ता साधना सिंह एवं उपपुलिस अधीक्षक सारिका वैद्य द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से बाल विवाह की निषेध के प्रचार-प्रसार व शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील की गई।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम की दी गई जानकारी

कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडेय एवं परियोजना अधिकारी मनीषा साहू द्वारा दी गई। जिसके अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह कानून प्रतिबंधित है। बाल-विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है। जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते हैं, जिन्हें विमर्श में लेकर उन कारणों को पूर्णतः समाप्त कर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों और उनके विकास को प्रभावित करता है। यह विकास को बाधित करने वाली गंभीर समस्या है। जिसके पूर्ण रोकथाम के लिए सामाजिक, कानूनी और आर्थिक स्तर पर लोगों को जागरूक करना एवं इस कुप्रथा से होने वाले दुष्परिणामों को जन-जन को समझाना महत्वपूर्ण है। ताकि, इसे प्रभावी तरीके से रोका जा सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें पूर्णतः सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करता है, करता है अथवा अज्ञेय सहयता करता है उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है। अथवा दोनों से दण्डित जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी भी महिला को कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने में, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 आदि को दी जा सकती है।

सम्हर को मिला टीबी मुक्त पंचायत का पुरस्कार



तेंदुकोना। विश्व क्षय दिवस पर ग्राम पंचायत सम्हर को टीबी मुक्त पंचायत का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर बागबाहरा जनपद अध्यक्ष केशव नायक राम चंद्राकर एवं नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बबेल की उपस्थिति में सम्हर सरपंच किशोर कुमार साहू का कोश पदक व प्रमाण पत्र से सम्मान किया गया। सरपंच किशोर साहू ने सम्मान का श्रेय अपने गांव के मितानिन व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि ये पुरस्कार हमारे गांव के मितानिन व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और परिश्रम का नतीजा है तथा आगे भी उनसे इसी तरह सहयोग की अपेक्षा करते हैं।



पीएम आगमन को लेकर हुई माजपाड़यों की बैठक महासमुंद। भाजपा ग्रामीण मंडल महासमुंद के तत्वावधान में नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, जनपद सदस्यों का सम्मान समारोह एवं आगामी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन विषय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय महासमुंद में 25 मार्च को हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में कार्यक्रम के सह प्रभारी एवं जिला कोषाध्यक्ष थानसिंह दीवान, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र गिरी, निवृत्तमान मंडल अध्यक्ष श्याम साकारकर, महामंत्री लक्ष्मीकांत तिवारी, नामदेव साहू, राकेश चंद्राकर, जनपद पंचायत महासमुंद के उपाध्यक्ष हुलसी जितेंद्र चंद्राकर, खड़ी जनपद सदस्य पुष्पा बाई ध्रुव, चुनेश्वरी साहू, गोविंद सिंह ठाकुर, साजन यादव एवं ग्रामीण मंडल के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, शक्ति केंद्र प्रभारी, बृथ अध्यक्ष, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम का संचालन डॉ माखन सिन्हा एवं आभार प्रदर्शन लक्ष्मीकांत तिवारी ने किया।

पांच दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज >>> महासमुंद

जिला महिला पंतजलि योग समिति महासमुंद के तत्वावधान में पांच दिवसीय 26 मार्च से 30 मार्च तक योग शिविर का आयोजन नगर के बीटीआई रोड स्थित गुरु गोविंद सिंह उद्यान में निःशुल्क शुरू किया गया है। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर जिला महामंत्री महिला पंतजलि योग समिति पूनम पटेल द्वारा किया गया।



जिला मीडिया प्रभारी संदीप पटले, आयुर्वेद चिकित्सक डॉ सरोज घृतलहरे, जिला खेल अधिकारी मनोज घृतलहरे, सुमन यादव, पूजा साहू, सीमा सगरवंशी, उसशी यादव, प्रीति ध्रुव, तनीषा दीवान, राकेश अर्वाडिया, रितेश चंद्राकर, नवीन साहू आदि ने शिविर में भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह उद्यान में नियमित वॉकिंग करने वाले सभी

बम्हनी में शराब दुकान खोलने का विरोध, पूर्व विधायक चोपड़ा से मिले ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज >>> महासमुंद

ग्राम बम्हनी के ग्रामीणों ने बुधवार को पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विमल चोपड़ा से भेंटकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बम्हनी के ग्रामीणों ने कहा कि शासन के मंशानुरूप ग्राम बम्हनी में देशी/अंग्रेजी शराब दुकान प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम बम्हनी में भगवान पंच कोशी धाम, बम्हनेश्वर नाथ महादेव का बहुत पुराना मंदिर है, जहां सावन माह में कांवड़ यात्री जल लेकर सिरपुर के गंधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। ग्राम बम्हनी में सालभर दर्शनार्थी भगवान बम्हनेश्वर नाथ महादेव के दर्शन

एवं पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। साथ ही ग्राम बम्हनी में उच्चतर माध्यमिक की कक्षाएं संचालित होती हैं। जिसके कारण आसपास के विद्यार्थी बड़ी संख्या में अध्ययन के



लिए ग्राम बम्हनी में आते हैं। यदि ग्राम बम्हनी में शराब दुकान खोला गया तो ग्राम के युवा वर्ग के लोग शराब के नशे के आदि हो जाएंगे, जिससे ग्राम में अशांति होने के साथ-साथ आए दिन दिन लड़ाई

झगड़े के साथ-साथ सामाजिक बुराई में भी वृद्धि होगी। एक ओर अवैध रेत परिवहन की वजह से ग्राम बम्हनी पहले से ही संवेदनशील स्थान है। ग्रामवासियों ने डॉ. चोपड़ा

के समक्ष अनुरोध किया कि ग्राम बम्हनी में शराब दुकान न खुले। और कहा कि गांव में शराब दुकान खुलता है तो ग्रामवासियों द्वारा इसका विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। डॉ. चोपड़ा ने कहा कि गांव में शराब दुकान न खुले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कहा कि वे आंदोलन की बात न करें, समस्याओं पर महासमुंद कलेक्टर से मिलकर चर्चा की जाएगी और गांव में शराब दुकान न खुले इसके लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा।

संत माता कर्मा ने संपूर्ण मानव जाति को भक्ति करुणा व मानवता का पाठ पढ़ाया: निखिलकांत

हरिभूमि न्यूज >>> महासमुंद

साहू समाज लांजीमार परिक्षेत्र द्वारा योगेश्वर धाम पतौरा, जिला नुआपड़ा (ओडिशा) में संत माता कर्मा की 1009 वीं जयंती के अवसर पर संत माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च को किया गया। जिसमें बतौर प्रमुख अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद चुनीलाल साहू थे। अन्य अतिथियों में रघुनाथ साहू अध्यक्ष निखिल उत्कल तैलिक वैश्य साहू महासभा ओडिशा, राजेंद्र धोलकिया पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक नुआपड़ा, बसंत पंडा पूर्व सांसद



सर्वप्रथम समस्त अतिथियों ने संत माता कर्मा की तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मां कर्मा की पूजा की। पश्चात सभी अतिथियों का आयोजन समिति द्वारा शाल, श्रीफल, रोली-अक्षत

लगाकर स्वागत किया गया। संबोधन में मुख्य अतिथि चुनीलाल साहू ने समाजजनों को एकजुट होकर समाज हित में प्रयास करने की बात कही। प्रमुख अतिथि नगर पालिका महासमुंद अध्यक्ष



निखिलकांत साहू ने कार्यक्रम में शामिल होने अवसर प्रदान करने पर समस्त स्वजातीय बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साहू समाज आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समाज में

शिक्षा पर विशेष जोर दिया। साथ ही समाज के युवा वर्ग को सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। नपाध्यक्ष साहू ने संत माता कर्मा की भक्ति को प्रणाम कर कहा कि माता कर्मा ने साहू समाज सहित समस्त मानव जाति को भक्ति, करुणा व मानव सेवा का पाठ पढ़ाया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके हाथों से खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया, जो हमारे समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है। सभा को कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ओडिशा व छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से साहू समाज के पदाधिकारी, स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे।

आनंदी चौका आरती का कार्यक्रम हुआ



बसना। महंत लखन मुनि साहेब ने कबीर पंथ सत्संग 26 मार्च को डॉ रविशंकर चंद्रा एवं उनकी धर्मपत्नी सुषमा चंद्रा द्वारा गृह प्रवेश एवं जन्मोत्सव के अवसर में आनंदी चौका आरती का कार्यक्रम महंत लखनमुनि साहेब के सानिध्य हुआ। कार्यक्रम में चंद्रभागा चंद्रा, गंगोत्री चंद्रा, लखन चंद्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भुवनेश्वरी चंद्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कोरबा हरिशंकर चंद्रा, नीमा चंद्रा, लवलेश चंद्रा, देवप्रसाद चंद्रा, शांति चंद्रा, राजेश चंद्रा, देवकुमारी चंद्रा, पुष्पलता चंद्रा एवं अन्य विशिष्ट जन के उपस्थिति में हुआ।

प्रशिक्षित ड्राइवर मंथली/डेली बेसिस पर उपलब्ध है

नोट - हमारे द्वारा प्रशिक्षित ड्राइवर वे सारे पॉइंट फॉलो करते हैं।

1. गाड़ी चलते समय पान मसाला / सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं।
2. एक बार में फ़ोन उठाते हैं, कॉल मिस होने पर कॉल बैक करते हैं।
3. प्रतिदिन गाड़ी की साफ सफाई करते हैं।
4. गाड़ी हमेशा सुरक्षित स्पीड में चलाते हैं।
5. ड्यूटी के दौरान द्यूनीफॉम में रहते हैं।

संपर्क करें- 7837411411

Rahul Travels One Way Taxi Pvt Ltd
Beside Raipur Airport

online Booking:- www.tripuryatra.com

स्लीपर मात्र 13,500/-

By Train - रजिर्वेशन कोच

01 जुलाई से 11 जुलाई, 15 जुलाई से 25 जुलाई, 27 जुलाई से 06 अगस्त 2025 (11 दिन)

सुविधा ज्यादा सबसे कम राशि पर

अमरनाथ यात्रा
बाबा अमरनाथ, माता वैष्णव देवी

11 रात्रियों की बुकिंग पर एक यात्री निःशुल्क

नोट :- बुकिंग आज जल्द करवाले क्योंकि रजिस्ट्रेशन व मेडिकल करवाना अनिवार्य रहता है।
राशि:- स्लीपर 13,500/-, 3 एसी 20,500/-, 2 एसी 25,500/- (-5% GST)

Since-2007

श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति

संपर्क करें:- 7354-411411